न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 397/2017/223 आर टी ए

जोगेन्द्र सिहं पुत्र श्री गजन सिहं, जाति जटसिख, निवासी दौलतावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़

––अपीलांटस

बनाम

1. जसवन्त सिहं दलीप सिहं, जाति जटसिख, साकिन वार्ड नम्बर–11, एलनाबाद, तहसील ऐलनाबाद, तहसील ऐलनाबाद, जिला सिरसा
2. आमजन साधाहरणव हरआम खास व्यक्ति–

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा प्र0सं0 120/2016 अनवानी जोगेन्द्र सिहं बनाम जसवन्त सिहं आदि

उपस्थित :–

श्री अनिल सिहाग,अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री जगराज सिहं भाटी अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः–14.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के वादपत्र का बार–बार अवसर लेने के बावजूद जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया। वादपत्र के वादपत्र का प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वादपत्र खारिज फरमाया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चुनौती दी है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। अपीलांट ने अपने उक्त दावा मे प्रतिवादी सं. 2 आम जन साधारण व हर आम खास व्यक्ति, को बतौर प्रतिवादी सं. 2 के पक्षकार बनाया जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करते समय उक्त दावा के निर्णय मे प्रतिवादी सं. 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा दर्शाया गया है। इसी प्रकार उक्त दावा के उक्त विधि विरूद्ध निर्णय की डिक्री मे वर्णित किया है कि वाद वादी साबित होने से खारिज किया जाता हें यदि वादी का दावा को साबित माना गया तो वादी का दावा को खारिज क्यों किया गया जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करते समय वादी अपीलांअ के दावा की पत्रावली का कोई अवलोकन नही किया व वादी एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरूद्ध तरीका से कानूनन व न्याय को अनदेखा

करके गतलत तौर पर निर्णय किया है। अपीलांट के अधिवक्ता को उक्त निर्णय का दिनांक 06.07.2017 को पता चला तो अपीलांट अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादी का उक्त अनवान का दावा की पत्रावली का राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प ग्राम पंचायत दौलतावाली मे लेजाकर वादी का दावा खारिज कर दिया है जबकि उक्त कैम्प मे पेश होने हेतु वादी या वादी के अधिवक्ता को कोई तामील व सूचना नही हुई थी व ना ही उक्त दावा के पक्षकारान के मध्य कोइ राजीनामा हुआ था। उक्त डिक्री मे वादी का दावा को साबित होने का आदेश देकर भी वादी का दावा को खारिज किया हे जिससे उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त कर न्यायहित मे वादी का दावा पुनः नम्बर पर लिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय का बार बार पता करने का कहा गया। दिनांक 06.11.17 को उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय करने से मना कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना की है जबकि अपीलांट द्वारा अपनी दस्तावेजी साक्ष्य से वादपत्र को साबित किया है। अतः अपील अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पारित की है अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखते हुए यह उल्लेखित करते हुए दावा खारिज कर दिया कि '' वादी द्वारा वादपत्र मे प्रतिवादी सं. 2 आम जन साधारण व हर आम खास व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया हें वादी द्वारा जिस व्यक्ति से अनुतोष चाहा गया हो उसे पक्षकार बनाया जाना चाहिए था परन्तु वादी द्वारा आम जन साधारण व हर आम खास व्यक्ति के नाम से पक्षकार बनाया जिसकी किसी भी रूप मे तलबी नही की जा सकती है व ना ही प्रकरण मे अनुतोष संबंधी निर्णय किया जा सकता हें अतः वाद वादी चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।'' जबकि आम जन साधारण व हर आम खास व्यक्ति को पक्षकार

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

बनाये जाने का आशय मात्र इतना है कि '' प्रकरण मे वसीयत के आधार पर घोषणा करवाने के संबंध मे प्रस्तुत दावा हेतु उजरदारी हेतु आम जन साधारण एवं हर आम खास को सूचित करना होता है जो अपीलांट द्वारा जरिये अखबार साया आम जन साधारण एवं हर आम खास को सूचित कर दिया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आम जन साधारण एवं हर आम खास व्यक्ति को सम्मन के जरिये सूचित करने बजाय दावा खारिज कर दिया गया जो विधिपूर्ण नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व fडिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए हाजा न्यायालय द्वारा आम जन साधारण व हर आम खास व्यक्ति की सूचना जरिये अखबार साया होने के तथ्य को मध्यनजर रखते पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.10.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जय
Web Copy - Not Offic